



2026:AHC:62792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 8024 वर्ष 2026

दिवाकर यादव एवं 5 अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 501/2019, अन्तर्गत धारा 447, 427, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 870/2020 (राज्य बनाम दिवाकर यादव एवं अन्य), जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही तथा आरोप-पत्र संख्या 337/2019 दिनांक 23.07.2019 एवं संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 27.01.2020 को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि आरोप-पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आवेदकों को फँसाना अनुचित है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961 के अनुसार पूर्व सूचना अनिवार्य है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा राहतू लाल @ राहतू राम @ दिव्यानंद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (आवेदन अन्तर्गत धारा 482/378/407 संख्या 1421/2004) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है, उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"5.7 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, आवेदकों को 'अतिचारी' नहीं कहा जा सकता है और न ही उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि आवेदकों के विरुद्ध उस धारा के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। चूँकि भारतीय दंड संहिता की संशोधित धारा 441 के तहत नोटिस एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि आवेदकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत कभी कोई नोटिस भेजा ही नहीं गया। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन न होने के कारण, 'आपराधिक अतिचार' का अपराध, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में परिभाषित किया गया है, घटित नहीं होता है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आवेदकों के विरुद्ध दाखिल किया गया आरोप-पत्र कानूनी रूप से बरकरार रहने योग्य नहीं है।"

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की ओर से किए गए तर्क का पुरजोर विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की संशोधित धारा 441 के तहत नोटिस न भेजने के प्रभाव पर संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए और आवेदक संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. चूँकि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाया गया है, इसलिए विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

6. पक्षों की ओर से उठाए गए परस्पर विरोधी तर्कों के उचित मूल्यांकन के लिए, भारतीय दंड संहिता की संशोधित धारा 441 और 447 अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

"441. आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass):- जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या उस पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, डराए, अपमानित करे या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या उस पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधि-विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि तद्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को डराए, अपमानित करे या क्षुब्ध करे, अथवा किसी अपराध को करने के आशय से बना रहता है,

अथवा, ऐसी संपत्ति में या उस पर, चाहे आपराधिक विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम,

1961 के लागू होने से पहले या बाद में, अनधिकृत कब्जा करने या ऐसी संपत्ति का



अनधिकृत उपयोग करने के इरादे से प्रवेश करने के बाद, उस दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे लिखित नोटिस दिए जाने पर, जो उस पर विधिवत तामील किया गया हो, नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक ऐसी संपत्ति, उसके कब्जे या उपयोग से हटने में विफल रहता है, तो यह कहा जाता है कि वह 'आपराधिक अतिचार' करता है।

447. आपराधिक अतिचार के लिए दंड:- जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड से, जिसे पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

7. उपरोक्त संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने आपराधिक विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961) के लागू होने से पहले या बाद में, अनधिकृत कब्जा करने या ऐसी संपत्ति का अनधिकृत उपयोग करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा किया है, और उस दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए लिखित नोटिस, जो उस पर विधिवत तामील किया गया हो, के अनुपालन में, नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक ऐसी संपत्ति या उसके कब्जे या उपयोग से हटने में विफल रहता है, तो यह कहा जाता है कि उसने 'आपराधिक अतिचार' किया है।

8. स्वीकार्य रूप से, इस मामले में, संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में निर्दिष्ट कोई भी लिखित नोटिस, जो किसी अन्य व्यक्ति (यानी विपक्षी संख्या 2) की कथित भूमि या उसके कब्जे या उपयोग से हटने के लिए हो, आवेदकों पर तामील नहीं किया गया है; इसलिए, आवेदकों के लिए ऐसे नोटिस का पालन करने और इसके विपरीत नोटिस का पालन करने में विफल रहने का कोई अवसर ही नहीं है, और इस प्रकार, 'आपराधिक अतिचार' का कोई अपराध किया गया नहीं कहा जा सकता। इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए, आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया, जो कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

9. इसके आलोक में, भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अनुसरण में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 27.01.2020 को रद्द किया जाता है। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 427, 506 के तहत अपराधों का संबंध है, वे विचारण का विषय हैं और इस प्रकार, संबंधित विद्वान न्यायालय को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह यहाँ नामित आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड



संहिता की धारा 447 को छोड़कर केवल धारा 427, 506 के अनुसरण में विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाए।

10. तदनुसार, यह प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

25 मार्च, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

Translated Version. Not For Legal Use.